प्रेस विज्ञप्ति

29.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मूनलाइट प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एल्को ग्लोबल वेंचर्स एलएलपी के नाम पर होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली, पंजाब में कृषि भूमि और औद्योगिक भूखंडों के रूप में 23.13 करोड़ रुपये मूल्य की 05 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है ।

ईडी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी संख्या 41110/2019 के निर्देशों के आधार पर और ईओडब्ल्यू, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एचपीपीएल), इसके प्रमोटरों/निदेशक/अधिकारियों और अन्य के खिलाफ निवेशकों/घर खरीदारों की मेहनत की कमाई को डायवर्ट/गबन करने और अंततः उन्हें वादा किए गए फ्लैट प्रदान नहीं करने के आरोप में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि एचपीपीएल द्वारा नोएडा के सेक्टर 107 में लोटस 300 परियोजना 67,941.45 वर्ग मीटर के भूखंड पर शुरू की गई थी। 2010-11 में और तदनुसार बिल्डर खरीदार समझौते निष्पादित किए गए थे। बाद में, 27,941.45 वर्ग मीटर का भूमि भाग , जिसकी कीमत 236 करोड़ रुपये थी , मेसर्स प्रतीक को बेच दिया गया। इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने बिल्डर बायर एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया। यह पता चला कि परियोजना से 190 करोड़ रुपये की राशि अपने समूह की कंपनी मेसर्स थ्री सी यूनिवर्सल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई। उक्त धनराशि के हस्तांतरण के कारण परियोजना के पास पर्याप्त धन नहीं बचा और परियोजना पूरी नहीं हो सकी तथा कंपनी दिवालिया हो गई, जिससे निवेशकों के साथ-साथ नोएडा प्राधिकरण भी परेशान हो गया, जिसका बकाया भी एचपीपीएल द्वारा नहीं चुकाया गया।

मेसर्स थ्री सी ग्रुप के निदेशक और प्रमोटरों से जुड़े विभिन्न परिसरों में 17.09.2024 से 20.09.2024 तक तलाशी ली गई, जिसमें 42 करोड़ रुपये की नकदी, हीरे और आभूषण , आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों के रूप में अपराध की आय (पीओसी) बरामद हुई।

इसके अलावा, जांच से पता चला है कि मेसर्स थ्री सी यूनिवर्सल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की गई धनराशि में से अधिकांश धनराशि मेसर्स मूनलाइट प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एल्को ग्लोबल वेंचर्स एलएलपी सहित विभिन्न अन्य समूह कंपनियों को असुरक्षित ऋण के रूप में दी गई है, जो पीओसी से खरीदी गई परिसंपत्तियों को रखने के लिए है। निवेशकों का पैसा एचपीपीएल से हस्तांतरित किया गया था, जिसे मेसर्स थ्री सी ग्रुप की समूह कंपनियों के माध्यम से स्तरीकृत किया गया था और पंजाब में अचल संपत्तियों के रूप में एकीकृत किया गया था।

आगे की जांच जारी है।